(a) whether it is a fact that the Kerala Labour Minister has urged the Central Government to meet 50 per cent of the actual cost of operating the calculation adjudication and enforcement machineries by the labour departments of respective States; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) The Labour Minister of Kerala has proposed that the Government of India should meet the cost of strengthening the conciliation, adjudication and enforcement Machineries at best to the extent of 50 per cent of the actual cost. There is no scheme at present with the Central Government to accommodate such a request.

Setting up of Consumer Courts in the country

267. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Associated Chambers of Commerce and Industry has called for immediate setting up of "fora" popularly known as Consumer Courts in all the districts for the redressal of grievances of consumers as envisaged in the Consumer Protection Act, 1986;

(b) if so, whether Government propose to set up the Consumer Courts in all the districts in view of call by ASSOCHAM; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Under Consumer Protection Act, 1986, the responsibility of setting up Consumer Disputes Redressel Forum (to be known as District Forums) in each district, rests with the State Governments and UT Administrations. The Central Government has already written to all the States/UTs to expedite the setting up of District Forums in each districts.

थोक एवं खुदरा मूल्य सूचकांक में वृद्धि

208. डा० अबरार अहमद खान: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1989 के अन्त में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य सूचकांक अलग-अलग क्या थे और 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार इन वस्तुओं का मूल्य सूचकांक क्या है ; इन पांच महीनों के दौरान किन-किन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और किन-किन वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है और यह वृद्धि या कमी कितनी-कितनी मात्रा में हुई है ,

(ख) उपरोक्त मूल्यों और थोक एवं खुदरा मूल्य सूचकांकों में वृद्धि या कमी होने के क्या कारण थे और बढ़ी हुई कीमतों को कब तक कम कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) 30 अप्रैल, 1990 को समाप्त होने वाले पांच महीनों के दौरान भवन निर्माण के उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा, इस्पात पत्थर चूना, लकड़ी बिजली का समान और श्रम के मूल्यों में कितनी वृद्धि या कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है, जिसमें 25-11-1989 तथा 14-4-1990 को चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक, इस अवधि के दौरान प्रत्येक वस्तु के मामले में उनमें हुई वृद्धि तथा कमी और चुनी वस्तुओं के नवम्बर, 1989 तथा फरवरी, 1990 में खुदरा मूल्य सूचकांक, इन तीन महीनों के दौरान प्रत्येक वस्तु के मामले में उनमें हुई वृद्धि या कमी दर्शाई गई है (देखिए परिशिष्ट CLIV, अनुपत्र सं० 15)

(ख) कुछ वस्तुओं के मूल्य सूचकांकों में वृद्धि, मौसमी, कारणों, उपभोक्ताओं की निरन्तर मांग, निवेशों की लागत में वृद्धि और खाद्य तेलों तथा चाय जैसी वस्तुओं के मामले में उत्पादन में आई गिरावट के कारण हुई है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस प्रयोजन के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक दोनों उपाय किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए उपायों में मोटे तौर पर ये कदम शामिल हैं:- जिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम है; उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना ; खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति तथा उनका सुरक्षित भंडार बनाने का कार्य कारगर ढंग से करना ; सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना ; मूल्यों तथा उपलब्धता की स्थिति की मानीटरिंग करना ; आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों तथा अन्य नियामक उपायों को सख्ती से लागू करना ; तथा मूल्यों में किसी भी असमान्य वृद्धि को रोकने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, आयात के जरिए देशीय आपूर्ति में वृद्धि करना।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप चीनी, खाद्य तेलों और चाय आदि के मूल्य में नरमी आने की आशा है। चीनी तथा सरसों के तेल और मूंगफली के तेल जैसे खाद्य तेलों के मामले में नरमी का रुख दिखाई देने लगा है।

(ग) 25-11-89 तथा 14-4-90 को चुनी हुई भवन निर्माण सामग्री की मदों के थोक मूल्य सूचकांकों में आया प्रतिशत उतार-चढ़ाव तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अक्तूबर, 1989 में प्रचलित दरों की अनुसूची विवरण में दी गई है। दरों की अनुसूची को तब से संशोधित नहीं किया गया है।

विवरण

25-11-1989 और 14-4-1990 के बीच चुनी हुई भवन निर्माण सामग्री के थोक मूल्यों से प्रतिशत उतार-चढ़ाव

मदें	25-11-89 और 14-4-90 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव 14-4-90 / 25-11-89
क. इमारती ईंटें	+7.5
सेरामिक टाइलें	स्थिर
चूना	+14.4
विद्युत उपकरण, यंत्र और उत्पाद	+1.0
टेबल फैन	+0.9
सीलिंग फैन	+1.7
जी०एल०एस० लैम्प	+0.8
फ्लूरेसेंट ट्यूब	स्थिर
सीमेंट	+12.1
लोहा और इस्पात	+1.8

ख. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सामान्यत: वर्ष में एक बार दरों की अनुसूची और लागत सूची मे संशोधित करता है । पिछला संशोधन अक्तूबर, 1989 में किया गया था अक्तूबर, 1989 मे सामग्री तथा मजदूरी के चल रहे मूल्य निम्नवत हैं :—

ईंट	755 रु० प्रति हजार
सीमेंट	126.30 रु० प्रति क्विंटल
लोहा/इस्पात	942.50 रु० प्रति क्विंटल
पत्थर की रोड़ी	135.50 रु० प्रति घन मी०
लकड़ी/इमारती लकड़ी द्वितीय श्रेणी (तेवदार)	107.35 रु० प्रति घन मी०
द्वितीय श्रेणी की कैल की लकड़ी	63.81 रु० प्रति घन मी०

मजदूरी

राजमिस्त्री	6 दिन काम के साथ एक दिन की सवैतन छुट्टी के साथ 50 रु० से 60 रु० प्रतिदिन
बढ़ई	6 दिन काम के साथ एक दिन की सवैतन छुट्टी के साथ 50 रु० से 60 रु० प्रतिदिन
कुली/बेलदार	6 दिन काम के साथ एक दिन की सवैतन छुट्टी सहित 28.85 रु० प्रतिदिन

अक्तूबर, 1989 से लागत सूची अथवा दर अनुसूची में कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

सामान्यत: प्रयोग में आने वाली विद्युत मदों में से अधिकांश पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय दर—अनुबंध पर उपलब्ध हैं तथा ये सामान्यत: लगभग एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होते हैं । अत: गत 5 महीनों की अवधि के दौरान दरों में बहुत कम परिवर्तन हुआ है । बिजली की वस्तुओं के लिए बाजार दरें सामान्यत: दर अनुसूची के संशोधन के समय एकत्र की जाती हैं । ये दरें पिछली बार 1985 में संशोधित की गई थी ।

स्रोत : क**थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82=100)
आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग मंत्रालय

ख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार

Withdrawal of Industrial Disputes (Amendment) Bill

269. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Indian Labour Conference held recently has recommended the withdrawal of the Controversial Trade Unions ond Industrial Disputes (Amendment) Bill which was introduced in Rajya Sabha in April, 1988; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) The Indian